



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032024-253378
CG-DL-E-26032024-253378

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2024/चैत्र 6, 1945

No. 71]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

मामला संख्या: एडीडी (ओआई)-04/2024

विषय: चीन जन.गण., रूस और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एसीटोनाइ ट्राइल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. फा. सं. 6/04/2024-डीजीटीआर .—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है, को ध्यान में रखते हुए, अल्काइल अमाइन्स कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी) जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण., रूस तथा ताइवान (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एसीटोनाइट्राइल" जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'एसिटोनाइट्राइल' है। एसिटोनाइट्राइल को एमईसीएन (मिथाइल साइनाइड), सायनो मीथेन, ईथेन नाइट्राइल, एथिल नाइट्राइल और मीथेन कार्बोनाइट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में किसी भी नाम से ज्ञाम एसिटोनाइट्राइल शामिल है। विचाराधीन उत्पाद को एक स्पष्ट और रंगहीन तरल के रूप में उत्पादित किया और बेचा जाता है।
4. विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित टैरिफ कोड नहीं है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ वर्गीकरण के उप शीर्ष 29 2690के अधीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975के अध्याय 29 के अंतर्गत आयातित किया जाता है।
5. यह उत्पाद विभिन्न शुद्धताओं में आयातित होता है। विचाराधीन उत्पाद की शुद्धता आयातित बिलियन में एसिटोनाइट्राइल की मात्रा के अलावा और कुछ नहीं है। पहले, कम शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल उत्पादित होता है और बाद में उसे उच्च शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल के लिए प्रसंस्कृत किया जाता है। विभिन्न किस्मों के कम शुद्धता वाले एसिटोनाइट्राइल का विभिन्न आयातकों द्वारा भारत में आयात किया गया है, जो इसके बाद उच्च शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल (99.9%) में बदलने के लिए एक छोटी डिस्टिलेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। इस जांच के प्रयोजनार्थ, विभिन्न शुद्धता में आयातित एसिटोनाइट्राइल को 99.9% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल को प्राप्त करने के लिए परिवर्तित किया गया है।
6. वर्तमान जांच के पक्षकार विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ) औचित्य सहित), यदि कोई हों, इस जांच की शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु मानी जानी चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे उत्पाद के प्रथमदृष्टया समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. यह आवेदन अल्काइल एमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। बालाजी एमाइन्स लिमिटेड और जिंदल स्पेशलिटी केमिकल्स ने आवेदन का समर्थन किया है। यह बताया गया है कि उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
9. प्रदत्त सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण., रूस और ताइवान हैं।

ङ. जांच की अवधि

11. इस जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 माह) की है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और पीओआई शामिल है।

च. पाटन मार्जिन की गणना

- क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. घरेलू उद्योग ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. से उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं, तब उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995के अनुबंध- I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

13. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद उनके आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

ख. रूस और ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

14. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसे संबद्ध देशों में बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अतः घरेलू उद्योग ने उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद उनके आधार पर सामान्य मूल्य का प्रस्ताव किया है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए सामान्य मूल्य पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

घ. निर्यात कीमत

15. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में यथासूचित विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित किया गई है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। संबद्ध देशों के लिए निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ड. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया सिद्ध करती है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है। आवेदक ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का मासिक आधार दावा किया है। इसकी जांच की प्रक्रिया के दौरान जांच की जाएगी। प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों को तदनुसार संगतसूचना देनी अपेक्षित है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

17. घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधी प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है। पाटित आयातों द्वारा किए गए कीमत न्यूनीकरण और ह्रास के कारण घरेलू उद्योग को पूरी लागत को वसूलने और आय की तर्कसंगत दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें नहीं बढ़ा पा रहा है और उसे घाटा हुआ है। यह भी दावा किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग स्थापित क्षमता से काफी कम रहा है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण

करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

19. पाटनरोधी नियमावली, के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
21. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है और नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।
33. हितबद्ध पक्षकार आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पार्टियाँ द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय अंश या नियमावली, के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के संबंध में पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीय अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
36. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत समयावधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2024

CASE No. ADD (OI) – 04/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Acetonitrile originating in or exported from China PR, Russia & Taiwan

1. **F. No. 6/04/2024-DGTR:** Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), Alkyl Amines Chemicals Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of Acetonitrile (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from China PR, Russia & Taiwan (hereinafter referred to as the 'subject countries').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating in or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the product under consideration from the subject countries.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is 'Acetonitrile'. Acetonitrile is also known as MeCN (Methyl Cyanide), Cyano methane, Ethane Nitrile, Ethyl Nitrile and Methane Carbonitrile. The product under consideration covers Acetonitrile known by any name. The product under consideration is produced and sold in the form of a clear and colourless liquid.

4. The product under consideration does not have a dedicated tariff code. The product under consideration is however imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 292690 of the Tariff Classification.

5. The product is imported with different purities. Purity of the product under consideration is nothing but the content of Acetonitrile in the imported solution. First, low purity Acetonitrile is produced, and it is then processed to make high purity Acetonitrile. The low purity Acetonitrile of various ranges are imported to India by importers who then undertake a small distillation process to convert into high purity Acetonitrile (99.9%). For the purpose of the investigation, Acetonitrile imported in different purities has been converted to arrive at Acetonitrile of 99.9% purity.

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. Like article

7. The domestic industry has submitted that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and exported from the subject countries and both are like articles. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the domestic industry has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. Domestic industry & standing

8. The application has been filed by Alkyl Amines Chemicals Limited. Balaji Amines Limited and Jindal Speciality Chemicals have supported the application. It has been stated that it has not imported the product under consideration from the subject countries and is not related to any exporters in the subject countries nor to any importers in India.

9. Based on the information provided, it is seen that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. Subject countries

10. The subject countries in the present investigation are China PR, Russia & Taiwan.

E. Period of investigation

11. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st October 2022 to 30th September 2023 (12 months). The injury examination period is 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, and the POI.

F. Dumping margin computation

a. Normal Value for China PR

12. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

13. The domestic industry has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available at this stage and therefore, the domestic industry claimed normal value based on best estimates of the cost of production in India duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The normal value claimed by the domestic industry has been considered for the purpose of initiation.

b. Normal Value for Russia & Taiwan

14. The domestic industry has claimed that it does not have access to any evidence of selling price in the subject countries. Therefore, the domestic industry has proposed to the normal value based on the best estimates of cost of production, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The normal value claimed by the domestic industry has been considered for the purpose of initiation.

d. Export Price

15. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DGCI&S data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to the net export prices for the subject countries.

e. Dumping Margin

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the product under consideration imported from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market by the exporters from the subject countries.

G. Allegation of Injury and causal Link

17. The domestic industry has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in absolute as well as relative terms. The price undercutting from the subject countries is positive. The price suppression and depression caused by dumped imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return and has suffered losses. It has also been claimed that because of the dumped imports from the subject countries, the production and capacity utilization of the domestic industry are significantly below its installed capacity. The market share of the domestic industry has declined in the period of investigation. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

H. Initiation of anti-dumping investigation

18. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the domestic industry and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

19. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
21. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
22. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

K. Time limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
27. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. Submission of information on confidential basis

28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
29. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the

party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of public file

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. Non-cooperation

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority